

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 493
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

वायुयानों में तकनीकी खराबी

493. श्री सुखदेव भगत:
सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री के. सुधाकरन:
श्री एंटो एन्टोनी:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री बैन्नी बेहनन:
कुमारी सुधा आर. :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वायुयानों में तकनीकी खराबी के मामलों में वृद्धि देखी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ख) ऐसी तकनीकी खराबी को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में उड़ानों में बार-बार होने वाली देरी और वायुयानों के रद्दीकरण की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) देश में वायुयान के टिकटों की ऊंची कीमतों के औचित्य का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या केंद्र सरकार का वायुयान के टिकटों की ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (ग) : विमान परिचालन के दौरान तकनीकी खराबी का अनुभव हो सकता है। तकनीकी खराबी/घटना की सूचना उड़ान चालक दल द्वारा कॉकपिट में श्रव्य/दृश्य चेतावनी मिलने या निष्क्रिय/दोषपूर्ण प्रणाली का संकेत मिलने या विमान को संभालने/परिचालित करने में कठिनाई का अनुभव होने पर दी जाती है।

विमान को आगे के परिचालन के लिए जारी करने से पहले विमान रखरखाव मैनुअल (एएमएम)/समस्या निवारण मैनुअल में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, योग्य और टाइप-रेटेड विमान रखरखाव इंजीनियर (एएमई) द्वारा खराबी/त्रुटि को ठीक किया जाना आवश्यक है।

डीजीसीए यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन और अनुरक्षण संगठन उन विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना जारी रखें, जिनके लिए उन्हें निगरानी, ऑडिट, स्पॉट जांच, रात्रि निगरानी आदि की एक प्रणाली के माध्यम से शुरू में मंजूरी दी गई है। गैर-अनुपालन के मामले में, डीजीसीए सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन/अनुरक्षण संगठन द्वारा सुधार किया जाए। उल्लंघन पाए जाने पर डीजीसीए एयरलाइन/संगठन/व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही आरंभ कर सकता है, जिसमें चेतावनी, वित्तीय जुर्माना लगाने सहित अनुमोदन/प्रमाणपत्र/लाइसेंस के निलंबन या रद्द किए जाने सहित चेतावनी शामिल है।

उड़ान में बुकिंग कराने वाले यात्रियों को समुचित सूचना दिए बिना उड़ान में व्यवधान, रद्द होने और उड़ान में देरी के मामले में हवाई यात्रियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने "बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-3, श्रृंखला-एम, भाग-IV जारी किया है।

(घ) और (ङ) : इसके अतिरिक्त, मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही सरकार द्वारा हवाई किराए की मंजूरी की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित विमान सेवाओं में लगे प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ के साथ सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निश्चित करना आवश्यक है। एयरलाइन कंपनियां उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अधीन अपनी परिचालन व्यवहार्यता के अनुसार उचित हवाई किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रचलित विनियम के अनुसार, हवाई किराया न तो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और न ही विनियमित किया जाता है। विभिन्न देशों में हवाई किराए परिवर्तनशील होते हैं तथा मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। किराया कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे किसी विशेष उड़ान की पहले से ही बेची गई सीटों की संख्या, ईंधन का मौजूदा मूल्य, मार्ग पर विमान के प्रचालन की क्षमता, सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता इत्यादि।
